Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1 (Short title)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA . Madam, I move :

"That at page 1, line 4, for the figures 1971 the figures 1972 be substituted.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Madam, I move :

"That at page 1, line 1, for the word 'Twenty-second' the word 'Twenty-third' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Madam, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The House stands adjourned till 2 P.M.

(Extension to Kohima and Mokokchung Districts) BUI

The House then adjourned for lunch at fifty-nine minutes past twelve of the clock

The House reassembled after lunch at two of the clock. THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) in the Chair.

THE PREVENTION OF FOOD ADUL-TERATION (EXTENSION TO KOHTMA AND MOKOKCHUNG DISTRICTS) BILL, 1971

THE MINISTER OE STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA): I beg to move:

"That the Bill to extend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, to the Kohima and Mokokchung districts in the State of Nagaland, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, this is a small piece of legislation, a sort of enabling legislation purported to extend the provisions of the Food Adulteration Act of 1954 to Kohima and Mokokchung districts of Nagaland. Before the 1954 Act different States had their own Food Adulteration laws but it was keenly felt at the time that to ensure a sort of uniform comprehensive legislation there should be one law under the purview of which all the States will be brought. At that time Nagaland was not a State. The Nagaland Act, 1962 was enacted to confer Statehood on Nagaland. At that time the districts of Kohima and Mokokchung formed a part of Nagaland Hill District which was then included in Part A of the Table below paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution. The administration of the district vested in the Governor of Assam. Under para 19 (J) (a) of the said Schedule the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 did not apply to the area comprising the districts of Kohima and Mokokchung as the Governor of Assam

Act was extended only to Tuensang district and Kohima and Mokokchung were excluded. Now, to do a way with that legislative lacuna, we are bringing this लेकिन आप आंख खोल कर भी अन्धे हैं तमाम piece of legislation so that this Act may be extended to के तमाम । आज दुर्भाग्य की बात तो यह है these two districts of Nagaland as well. With this end in view we have decided to present this Bill before the House

With these words, Madam, I commend this Bill to the House.

The question was proposed.

101

भी ओम् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश): उपसभाष्यक्ष महोदया, जो विश्वेयक खाद्य और मिश्रण का नागालैंड तक विस्तार किया जा रहा है, मैं उसका विरोधी हं और इस दृष्टि से विरोधी हं कि जिन क्षेत्रों में इसको बढ़ाया जायेगा, वहां पर सिवाय सरकारी कर्मचारियों के लिये रिश्वत लेने का एक अवसर प्रदान करेगा और इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा । यह जो बिल है वह लंगड़ा और नपुंसक बिल है जो इस देश में अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल हो चका है। इसलिये इस बिल को वहां पर जिस लक्ष्य से लाया जा रहा है, वहां पर सिवाय भ्रष्ट कर्मचारियों की सहायता करेगा भ्रष्ट करने में और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा । (Interruptions) स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कमेटी खाने पीने की चीजों की जांच करने के सम्बन्ध में बनाई थी और उसका अपना यह मत है कि देश में कोई भी खाने पीने को चीज ऐसी नहीं है, जिसमें अपिश्रण और अडल्ट-रेशन करने वालों का घ्यान आकर्षित नहीं किया हो अर्थात कोई भी वस्त ऐसी नहीं है जिसमें मिश्रण न होता हो।

सन 1965 में एक ऐक्ट पास हुआ और आज सात साल हो गये हैं स्थिति यह है मंत्री महोदय कि अगर कोई आत्म-हत्या करना काल वह आदमी जहर खाने के बाद जीवित मिलेगा, मरेगा नहीं। आज यह अवस्था है कि

Mokokchung Districts) Bill did not issue the necessary order at that time. So the बुद्ध जहर भी नहीं मिलता है। (Interruptions) देखा सभी ने है, पर मैं आंखों से देख रहा हूं, कि आपकी जो बृद्धि है और आपकी जो आंख है, इन दोनों पर पार्टीबाजी का मोतिया-बिद का जाला छाया हुआ है जो आपको बोलने नहीं देता है और देखने भी नहीं देता है। (Interruptions) मूझे क्षमा कीजियेगा । आपने जब टोका है तो आप जवाब भी सुन लीजिये। मैं यह बात नहीं कह रहा हूं, मेरा अपना मत नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी उसका मत है जिसको मैं पढ़ कर सूना देता हुं। इसमें यह दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों में दालों का जो मिश्रण है वह 5 से 100 प्रतिशत तक है। बटर और घो में 12 से 50 प्रतिशत तक, चाय में 23 से 36 प्रतिशत तक, शराब आदि में 44 से 75 प्रतिशत तक मिश्रण हो रहा है। शराब के नाम पर जो अल्काहोल है उनमें 75 प्रतिशत तक अप मिश्रण हो रहा है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है और उसके द्वारा नियुक्त की हुई कमेटी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह भी है कि जब से यानी 1965 से, जब यह ऐक्ट पास हुआ था तब से मिश्रण का कार्य, अप-मिश्रण का कार्य 300 प्रतिशत ज्यादा बढ़ गया है। फिर भी आपको दिखलाई नहीं दे रहा है। मैं कहता हं कि मोतिया बिंद के अलावा और क्या है। इसके बाद भी आप कहते हैं नहीं है और यह रिपोर्ट मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है।

(Extension to Kohima and

(Interruptions)

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: (Gujarat): It is a parliamentary tradition that when a Member is making his maiden speech people do not interrupt him. Unfortunately the opposite side ha\* lost all its manners.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS चाहे और बाजार से जहर खरीद कर लाये मरने AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND के लिये तो वह शुद्ध जहर नहीं होगा। प्रात:- TRANSPORT (SHRI OM MEHTA): But he must not speak like that.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: It

(Extension to Kohima and Mokokchung Districts) Bill

[Shri Dahyabhai V. PatelJ seems you do not know parliamentary traditions and manners. You would not say that if you had manners. Nobody interrupts a speaker when he is making a maiden

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं स्वागत करता हुं, लेकिन जो मुझे टोकेगार्मै उसकाजरूर जवाब दंगा। मैं छेड़ना नहीं जानता, लेकिन जो मुझे छेड़ता है मैं उसको छोड़नाभी नहीं जानता हं। (Interruptions) अगर ये छेड़ेंगे तो मैं कैसे छोड़गा। मैं भी पार्लियामेंट में बहुत समय से रहा हुं, नया नहीं हुं। अगर आप छेडेंगे तो नकद में आपको सीदा मिलेगा, उधार नहीं, तूरन्त जवाब मिलेगा । उपाघ्यक्ष महोदया, कमेटी की रिपोर्ट है कि जब से ऐक्ट पास हुआ है तब से 300 गूना इस देश में अपिमश्रण हो रहा है। चोर, डाकु और बेईमान के साथ किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति का कोई समझौता और सहानुभृति नहीं रहनी चाहिये। कोई भी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहेबाहर की सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ सहानुभृति का प्रश्न हो नहीं है, जो चीज सच है वह सच है, अपिश्रण हो रहा है। इसका कारण क्या है? इस एक्ट के अनुसार सार अपमिश्रण को रोकने के लिये लोकल बोडीज को अधिकार दिया हुआ है और लोकल बोडीज में भी सेनिटरी इन्स्पेक्टर को दिया हुआ है। वे पहले सेम्पिल लेते हैं। पहले तो सेम्पिल लेना ही मुश्किल है और अगर सेम्पिल लें तो वहां उसकी जांच करने की, एनालेसिस करने की व्यवस्था है, वे लेबोरेटरीज ऐसी दय-नीय अवस्था में हैं कि उनके पास पूरे साधन भी नहीं हैं जांच करने के लिये। तो प्राप्त करना, पहुंचना मुदिकल है और जो अपमिश्रण करते हैं ये सब बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले आदमी हैं, सेम्पिल लेते ही उनकी थैलियां चल पडती हैं, सेम्पिल रास्ते में गायब हो जाता है और लेबोरेटरी में बिलकुल नया सेम्पिल पहुंचता है। दूसरी चीज यह है कि यूनियन गवनंमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट यह थी कि अगर फुड एडल्ट्रेशन रोकना है तो 25 हजार व्यक्तियों के ऊपर एक होल-टाइम फुड

इंस्पेक्टर रहना चाहिये । आप आदचर्य करेंगे कि देश में जितने इंस्पेक्टर होने चाहियें थे उनकी जगह 43 होल-टाइम फुड इंस्पेक्टर इस वक्त हैं 1 लाख 30 हजार पर एक । इस ऐक्ट के अनुसार काम नहीं हुआ। फुड इंस्पेक्टर्सकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वे देखने में असमर्थ हैं। उसी कमेटी का कहना था कि इस देश में 350 जिले और 150 टाउन्स के लिये कम से कम 500 लेबोरेटरीज चाहिये, तब यह अपिमश्रण इक सकता है, परन्तु आपको जान-कर आश्चर्य होगा कि केवल 63 लेबोरेटरीज हैं जो इस देश में फुड अपिश्रण रोकने के लिये काम कर रही हैं से म्पिल को देख कर। इससे आप अन्दाजा लगासकते हैं कि इस देश में फूड एडल्ट्रेशन कैसे रुक सकता है। जब यह एक्ट यहां फोल हो गया है तो नागालैंड में यह जादू कैसे करेगा। उपाध्यक्ष महोदया, मूझे विदेशों में भी जाने का मौका मिला है। कोई भी केस मुझे ऐसा नहीं मिला जहां यह संदेह हो किसी वस्तु को खरीदने में कि यह मिश्रित होगी, कोई दूसरी चोज इसमें मिलो होगी। आप लोजिये, बुद्धचीज । मिलेगी । दाम भी एक मिलेगा । यहांदाम को छोड़ दीजिये, चीज शुद्ध मिले यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। लोग शुद्ध समझ कर खाते हैं और वे खाक्या रहे हैं। इस देश में बहत से लोग हैं जिनमें घार्मिक भावना किसी हद तक है, कुछ लोगों को सुअर को चर्बी खाना बूरा लगता है, कुछ लोगों को धार्मिक दृष्टि से गाय का मांस खाना, गाय की चर्बी खाना बूरा लगता है, लेकिन आपको आक्चर्य होगाइस देश में बाहर से, अमरीका से गाय और सूअर की चर्बी टनों में आ रही है और वह खुले आम घो के साथ मिश्रित हो रही है, वह सबको खिलाया जा रहा है, कौन रोकने वाला है। आप आइचर्य करेंगे. आप चांदनी चौक चले जाइये, मैं दूर की मिसाल नहीं देता, बर्फी के नाम पर जो सफेद . . .

श्री कल्याण चन्द (उत्तर प्रदेश) : वहां महापालिका है।

(Extension to Kohima and Mokokchung Districts) Bill

श्री ओम प्रकाश त्यागी: वही कह रहा हं। क्या बुद्धि है। (Interruption) यह सिर है या कद है ? मैं दिल्ली की बात कह रहा हुं चांदनी चौक की।

एक माननीय सदस्य : वहां तो महा-पालिका है।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी: वही कह रहा हं, थोड़ा बुद्धि से काम लो।

उपाध्यक्ष महोदया, यह सर वे कहां रखेंगे। मैं तो समझ रहा था कि राज्य सभा में सुलझे हुए लोग आते हैं। आप उनको रोक लीजिये। (Interruption) मैं आर्य समाजी भी हूं।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विमाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्घा) : यह तो जाहिर ही है।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी: मैं भी वही कह रहा हूं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): आप कब से आर्य समाजी हो गये ?

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : छेड़ो मत। उपाध्यक्ष महोदया, बर्फी खा रहे हैं और उसके नाम पर सफेद पत्थर उसके साथ मिला हुआ ला रहे हैं। आप सोचें कि उससे कितने बीमार होंगे। मिश्रण को छिपाने के लिये ऐसे रंग डाले जारहेहैं कि जिनसे लोगों को कैंसर हो रहा है, पेट की बीमारियां हो रही हैं। आप आश्चर्यं करेंगे, मसाले में घोड़े का लीद साफ करके, धोकर पिसे हुए मसाले के साथ दी जा रही है। महोदया, यह उनका ऐक्ट है। क्या इतना नैतिक पतन हो गया है कि आप मुनने का सामर्थ्य भी खो बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं वहीं कह रहा था कि और चीजों में तो यह एडल्ट्रेशन सहन हो सकता था, लेकिन अब दवाइयों और इंजेक्शनों में भी बनावटी चीजें आ गयी हैं। क्या होता है और क्या नहीं होता

है, यह चाहे दिल्ली में होता हो या और कहीं होता हो, चाहे मैं करता हूं या मेरा बाप करता हो, जो पाप करता है वह पापी है और उसको हमें रोकना चाहिये और कानून ऐसा बनना चाहिये कि जो इस पाप की रोक सके। यही बात मैं कह रहा हं। यह ऐक्ट नपंसक ऐक्ट है और यह ऐक्ट असमर्थ रहा है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । यह सिद्ध हो चुका है। इस देश में यह ऐक्ट फोल हो चुका है। मेरी प्राथंना माननीय मंत्री जी से यह है कि वे इस ऐक्ट को लागू करें, मैं उनसे इस बात में सहमत हं, यह ऐक्ट देश के कोने-कोने में जाना चाहिये, जहां नहीं हैं वहां यह ऐक्ट लागू होना चाहिये, परन्तु इस ऐक्ट में जो कमजोरियां हैं, मेरी ईमानदारी से आपसे प्रार्थना है कि उनको आप दूर करें ताकि आप बेइमानों को रोक सकें, बेइमानी करने से और ऐसा ऐक्ट बना कर आप उसको देश के दूसरे हिस्सों में ले जाकर लागू करें। इस ऐक्ट में जितने लूप-होल्स हैं, उनको आप बन्द कीजिये और इसको ऐसा बनाइये जिससे दोषी बच न सकें। दोषी जो एडल्ट्रेशन करता है वह सबसे बड़ा किमि-नल ऐक्ट करता है। मैं समझता हं कि उस पर वही घारायें लागू होनी चाहियें कि जो किसी मनुष्य का करल करने वाले पर लागू होती हैं या किसी सुसाइड करने वाले व्यक्ति पर लागू की जाती हैं। यही धारायें एडल्ट्रेशन करने वाले पर लागू होनी चाहियें और उसकी सकत सजा होनी चाहिये ताकि खाद्य सामग्री में कोई अपिश्रण न कर सके। ऐसा ऐक्ट बन जाने के बाद लागू होना चाहिये। मैं आपके इरादे पर कोई हमला नहीं कर रहा। आपका इरादा अच्छा है, लेकिन आपके पास जो हथि-यार है वह हल्का है, ढीला है, वह बेकार है, निकम्मा है और इससे आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। दूसरी चीज यह है कि इस एक्ट के अनुसार जो सजादी जारही हैं वह इतनी हल्की हैं कि उससे एडल्ट्रेशन इक नहीं सकता । इसमें थोड़ा बहुत जुर्माना होकर रह जाता है और वह उन लोगों पर कोई असर नहीं डालता। मैं समझता हं कि जिस तरह से किमिनल गुनाहों के लिये सजा दी जाती है

[श्री ओम प्रकाश त्यागी] वैसे ही एडल्ट्रेशन करने वालों को भी सख्त सजा दी जानी चाहिये ताकि वे अपने खानदान वालों से कह कर मरें कि अब कभी खाद्य सामग्री में मिश्रण मत करना। इस तरह की सक्त सजा का विधान इसमें होना चाहिये।

दसरी चीज यह है कि परीक्षणशालायें ज्यादा होनी चाहियें ताकि सही रूप से परीक्षण हो सके और परीक्षण शालाओं में जो जांच के उपक्रम हैं वह भी अप-टू-डेट रहने चाहियें ताकि सही जांच की जा सके और जांच करने वाले इंस्पेक्टर्स पर भी सख्ती रहनी चाहिये। अगर कोई आदमी रिश्वत लेकर सेम्पिल चेंज करता है और एडल्ट्रेटर को बचाने की चेष्टा करता है तो उनके साथ भी सख्ती से व्यावहार किया जाना चाहिये और इस ऐक्ट में ही इसका प्राविधान होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया, एक बात में और कहना चाहंगा और वह यह है कि इस ऐक्ट में ऐसा भी विधान रहना चाहिए, ऐसा भी बलाज रहना चाहिये ताकि इस पाप को रोकने के लिये उपभोक्ता का सहयोग भी उसमें लिया जा सके। इस ब्राई को, दोष को दूर करने के लिये उपभोक्ताओं की आवाज भी सुनने का इसमें कोई विधान हो, लेकिन इस ऐक्ट के अनुसार उपभोक्ता की आवाज को उपेक्षित कर दिया गया है, उसकी जानकारी का, उसके ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं लिया जाता है।

महोदया, मैं इस ऐक्ट का विरोध नहीं करता, मैं इसके एक्सटेंशन का भी विरोध नहीं करता, केवल यही प्रार्थना करता हं कि यह ऐक्ट वर्तमान स्वरूप में लंगडा है, निकम्मा है, नप्सक है। यह आपके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना यही है कि जहां आप इसके विस्तार करने की बात चला रहे हैं, वहां यह अच्छा होता कि इस ऐक्ट में यह अमेंडमेंट करने से पहले इसको मजबूत बनाते ताकि इस देश में अपिश्रण का पाप करने वाले बच न सकते, वे कटघरे में आ कर खड़े हो सकते और देश में खाने की चीजें शुद्ध मिल सकतीं। गरीबी दूर करने की बात है लेकिन गरीबी में ही जो रूखी सुखी रोटियां मिलती हैं, जो थोड़ा बहुत खाने की चीजें मिलती हैं वह भी मिश्रित मिलती हैं, शुद्ध रूप में मिल नहीं पातीं, गरीबी आप दूर कर सर्केंगे इसमें हमें संदेह है लेकिन मेरा निवेदन है कि गरीबी में ही जो चीज प्राप्त करा रहे हो वह तो शुद्ध रूप में प्राप्त करा सको इतनी तो प्रार्थना हम कर सकते हैं। और वह केवल जरा सी बात में हो सकेगा कि इस कानून को जरा सक्त और कड़ा बनाओ, ऐसा बनाओ जिससे कि खाद्य में मिश्रण करने वाले बच न सकें।

इन शब्दों के साथ में इस लंगड़े, निकम्मे और नपुंसक ऐक्ट का विरोध करता हं और यही प्रार्थना करता हुं कि इसके एक्सटेंशन से वहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा, रिश्वतखोरी बढेगी, लाभ नहीं हो सकेगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदया, इस विधयक की जो मंशा है और जो इरादा है उसकी खिलाफत कोई करेगा ही नहीं, लेकिन अमल में यह कैंसे आता है, उसके बारे में हमारे साथी लोग जिन्हें जान-कारी है, वह इस बात को जानते हैं कि इस ऐक्ट के लागू होने से छोटे और गरीब ब्यव-साइयों की कठिनाइयां बढ जायेंगी।

महोदया, इस कार्य के लिये सैनिटरी इंस्पेक्टर लोग मुस्तैद होते हैं, जिनको ड्यूटो यह होती है कि वह खाद्य-पदार्थ को चेक किया करें और ये सैनिटरी इंस्पेक्टर लोग एक रिवाज कायम कर देते हैं कि उनके क्षेत्र में जितने भी दुकानदार हैं, उनसे वह महीना बांध लेते हैं. छोटे-छोटे दुकानदार जिनकी पूंजी सी रुपये, डेढ़ सौ रुपये या दो सौ रुपये है, जो अपना थोड़ा-थोड़ा सामान बेच करके गुजर करते हैं उनको ये सैनिटरी इंस्पेक्टर लोग इस कानन के तहत में, इस कानून को लागू करने के लिये, चैकिंग करते हैं और सीताराम केसरी जी को माल्म होगा ...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: हां, उनको खूब मालूम है, इनका भी हिस्सा है।

श्री नागेरवर प्रसाद शाही : . . . कि वह माहवारी बांघ देते हैं ।

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : आपके सब कुकर्मों की जानकारी मुझको ही है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: आपका कोई नोटिस नहीं ले रहा है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: यह माहवारी बांध देते हैं, 15 रुपया, 10 रुपया हर दूकान-दार से लेते हैं। दुकानदार इतने गरीब और छोटे हैं, उनको आमदनी इतनी सीमित है कि वह अपने बाल बच्चों के गुजर भर का भी उन छोटी-छोटी दुकानों से नहीं कमा सकते हैं और जब उनको 15 रूपया या 20 रूपया माहवारी इंस्पेक्टर को देना होता है तो ला-मुहाला उस पैसे को नाजायज काम करके निकालते हैं वर्नी कहां से उस पैसे को लायें, कहने का मतलब यह है कि इस कानन के अन्तर्गत जिन्हें आप नियुक्त करते हैं, वह बजाय इसके कि कानन को सही तरीके से लागू करने के लिये काम करें, अपमिश्रण रोकने में भदद करें, उसके लिये काम करें, वह खाद्य में अपमिश्रण और कराने का काम करते हैं। उनकी वजह से और इस कानन के लागूहोने से खाद्य का अपिश्रयण बढ़ता है बजाये घटने के । मैं श्रीमन्, कहना चाहता हं कि जिस इलाके पर यह लागू किया जा रहा है, वह पहाड़ का इलाका है और पहाड़ के लोग जो बहुत सम्पर्क में नहीं हैं मैदान के लोगों से, उनसे ज्यादा ईमानदार हैं। में यह कहने के लिये तैयार हं कि पहाड़ के लोग ज्यादा ईमानदार हैं, उनके अंदर इस तरह का दोष बहुत कम है, मिलावट करना, बेई-मानी करना, इस प्रकार का दोष बहुत कम है। हमारे जिले गोरखपुर के पास में, जो नेपाल का इलाका है उसमें जो पहाड़ के लोग हैं, शिक्षित तो कम हैं, मगर उनमें ईमानदारी की मात्रा बहुत है। कोई चीज रुपया गठरी उनको मिल जाती है उसकी चोरी नहीं करते, बेईमानी

Mokokchum Districts) Bill नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते वैसे ही यह भी इलाका है। मुझे विश्वास है कि वहां के लोग खाद्य में अपिमश्रण बहुत कम करते होंगे और वहां पर इस कानन को लागु करके, इसका विस्तार करके, यह होगा कि सैनिटरी इन्स-पेक्टर लोग दुकानदारों के पास पहुंच जाएंगे, दस-दस मील पर कार्यालय खोल देंगे, हर दुकानदार से दस-पन्द्रह माहवारी बांध लेंगे और जब दस-पन्द्रह रूपया माहवारी बांध देंगे तो वह छोटा दुकानदार 200 या 400 रूपये की पुंजी वाला मजबूर हो जाएगा उस सैनिटरी इंस्पेक्टर का माहवारी कोटा देने के लिये उप-सभाष्यक्ष महोदया, इस कानून के उस क्षेत्र में लागु होने से वहां की जनता का कोई लाभ नहीं होगा और अपिश्वण रुकने की बजाए, अगर वहां पर नहीं होता होगा तो भी होने लगेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हं कि अगर आप इसका विस्तार वहां करें, जैसा कि आप इस विधेयक से करना चाहते हैं, तो पूरी व्यवस्था में कूछ इस तरह की तब-दीली ले आएं कि यह जो माहवारी बंधा रहता है, उसमें जो दकानदार उसको न देतो दूसरे दिन इंस्पेक्टर उसके पास पहुंच कर अपने ही चपरासी को गवाह बना कर और अपना सैम्प्ल साथ ले जाकर उसी चपरासी को गवाह बना कर उस छोटे गरीब दुरानदार का चालान कर देगा, कोर्ट से जाकर उसको परेशानी होगी और 200-400 ६० जुर्माना भी हो जायगा और उसके लिये बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी, तो इस बारे में व्यवस्था लाई जाए। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हं कि इस कानन का विस्तार करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उसमें कुछ ऐसा संशोधन करें कि ऐसा न हो कि छोटे और गरीब ब्यवसायी राहत पाने की बजाए मुसीबत पाएं। इस व्यवस्था के अंदर उनको सही मानों में राहत पहुंचे और जिस मकसद, जिस इरादे से इस विधेयक को लाया जा रहा है, वह मकसद और इरादा सही मानी में पूरा हो।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : उपसभाष्यक्ष महोदया, इस विषेयक से सिद्धांतत:

(Extension to Kohima and Mokokchung Districts) Bill

श्री जगदीश प्रसाद माथुर। हमें विरोध नहीं लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से यह कहना है कि आज जहां यह विधेयक आपरेट होता है, जहां वास्तव में इस विधेयक का आपरेशन है, वह छोटे दूकान-दारों तक सीमित है जो कि वास्तव में मिला-वट नहीं करते हैं। जहां पर बड़ी मात्रा में चीजों का निर्माण होता है, निमाण होने वाले स्थल के ऊपर, वहां के बारे में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने विभाग से आंकडे मंगवा कर देखें। उनके द्वारा पिछले दो, तीन और चार सालों में जितने चालान हुए हैं उनमें छोटे दुकानदारों की संख्या कितनी थी और बडे कारखानेदारों की संख्या कितनी थी। आज जो छोटे दुकानदार हैं, जो जनता को सामान बेबते हैं उनका चालान किया जाता है लेकिन अधिकांश जो मिलावट चीजों को होती है वे बड़े-बड़े ज्यापारी करते हैं, छोटे ज्यापारी नहीं करते हैं। बड़े लोग पकड़ में नहीं आते हैं और इसीलिये में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हं कि जब वे जवाब देने के लिये खड़े हों तो इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करके बतलायें कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत जिन लोगों का चालान किया गया है, उसमें छोटे दुकान-दारों की संख्या कितनी हैं और वडे-बडे कार-खाने वालों की संख्या कितनी हैं जो माल का निर्माण करते हैं वे ही मिलावट करते हैं, मगर वे पकड़े नहीं जाते हैं।

एक और विषय के सम्बन्ध में मैं मान-नीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता है। मुझे पता नहीं कि सरकार का इसमें कौनसा स्वार्थ है कि वह हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, जो हमारी तरफ से कई बार रखा जा चुका है। आज जो वेजिटेवल आयल है वह शुद्ध घी के साथ मिलाया जाता है। हमने कई बार मांग को है कि वेजिटेबल आयल को रंग दिया जाय। हमारी यह मांग कई वर्षों से चली आ रही है, मगर सरकार की ओर से बराबर ठ्रुरा दी जाती है। सरकार की ओर से हमेशा ही यह जवाब दिया जाता हैं कि हम अभी तक ऐसे किसी रंग का

निर्माण नहीं कर पाये हैं। मुझे पता नहीं है कि सरकार के इतने कर्मचारी हैं, इतनी लेबोरेटरी हैं, फिर भी वह वहां पर इस तरह का कोई रंग तैयार नहीं करा सकती है जोकि वेजि-टेबल आयल में मिला दिया जाय ताकि उसको शुद्ध घो में शामिल न किया जा सके। इस बात का पता चल सके कि शुद्ध घो कौनसा है और वेजिटेबल आयल कौनसा है। सरकार का इसमें इंटरेस्ट है; क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े वेजिटेबल आयल के मिल वाले हैं वे कांग्रेस के भाइयों को पैसा देते रहते हैं और इस तरह से उनका स्त्रार्थ सिद्ध होता रहता है। अगर सर-कार का इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, तो क्या हमारी सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय कोई ऐसा रंग नहीं ढंढ सकती है, क्या देश में इस तरह की कोई लेबोरेटरी नहीं है जो इस प्रकार का रंग तैयार कर सके, जिसके द्वारा वेजिटेबल आयल को शुद्ध घी में मिलाने से रोका जा सके। वह जो मिलावट की बीमारी है वह वेजिटेबल आयल को रंग देने से दूर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का इसमें इन्ट्रेस्ट नहीं है। अगर सर-कार का इंट्रेस्ट होता तो खाने पीने की दिष्ट से शृद्ध घो में जो वेजिटेबल आयल मिलाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है. उसको रोका जाता। हमने सरकार को जो यह सुझाव दिया है कि वेजिटेबल आयल को कलर किया जाय उसको सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जो से इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहुंगा कि जितने बडे-बड़े कारखाने हैं, जहां पर प्रोडक्शन का कार्य होता है उनका कितना चालान किया गया और जो छोटे दुकानदार हैं उनके चालान की क्या संख्या है । इसके साथ ही साथ वेजिटेबल आयल को कलर करने की दृष्टि से सरकार के सामने कौनसी समस्या है, कौनसी दिक्कत है. जिसकी वजह से वह इसकी कलर करने के लिये तैयार नहीं है और घी में जो मिलावट वेजि-टेबल आयल की हो रही है उसको रोकने के लिये तैयार नहीं है। मैं इन बातों का मान-नीय मंत्री जो से स्पष्ट उत्तर चाहुंगा।

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYA-YA: Madam Vice-Chairman, while introducing this Bill I tried to humbly point out that the objective of this piece of legislation is very limited and restrictive...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: The scope of the Bill is very wide.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHAY-YA: The scope of the Bill is not before the House for formal consideration...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : But the Health Minister should take not of it.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYA-YA: Yes, I will take note of the valuable suggestions offered by my honourable friends. But the question is whether this Bill should be extended to Kohima and Mokokchung districts. About that I am glad to find that my friends have no objection at all. The other questions, very pertinent questions, that they have raised about this particular Act are well known. I must say that many of them are valid, justified and warranted. But about the loopholes of the Act we are not unaware of them. I would like just incidentally to mention that the agencies and the machinery responsible for the implementation of the provisions of the Act are being strengthened. In the current five year plan we have provided a sum of Rs. 42 lakhs for further strengthening the agencies so that the loopholes of this Act could be plugged in practice. We are not unaware of the dangers and hazards involved in adulteration of the food articles. If we defer the extension of this Act to these two districts till we improve the Act and plug the loopholes, I think in that process we will be creating more problems than really solving them. I think the extension of this Act to those two districts will not create any additional problems. Rather that will help to combat the problems in those two districts.

About my friend Shri Mathur's suggestion that only the poor shop-keepers are punished, I am not quite sure about it. I find that in 1969 about 6,122 persons were punished for violating this way or that way the provisions of this Act.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: How many of them are big business people?

## DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYA-YA: I am not ready within that figure. But

1 can assure him that all these 6,122 persons are not shop-keepers because even those who store the adulterated food and those who manufacture and those who are responsible for carrying these articles to the consumers and shop-keepers who store them are also liable for prosecution. I can very well pre sume—and it is a valid presumption—that many of these 6,122 are of that category and are not exclusively shop-keepers.

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu) : How many of them are like that ?

## DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYA-

YA: That figure is not readily available with me. I can also submit that after the enactment of this Act the number of samples of adulterated food has also gone down considerably. In 1965 it was nearly 31 per cent; now it is only 22 per cent. So, this statistical down curve is also an unmistakable proof of the fact that the danger and hazards of adulteration are being effectively combated.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: What about colouring of vegetable oil?

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYA-YA: That is being looked after not only by this Act, but also by the provisions of the Drugs and Cosmetics Act. So far as this Act is concerned, we simply want to extend it to those two districts of Nagaland. With these words, I commend the Bill to the House.

THE VICE-CHAIRMAN : (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That the Bill to extend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, to the Kohima and Mokokchung districts in the State of Nagaland, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill. There are no amendments to clause 2 of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1—Short Title DR.
DEBIPRASAD CHATTOPADHYA-YA: Madam,
I move:

2. "That at page 1, line 4, for the figures '1971' the figures '1972' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYA-YA: Madam, I move:

1. "That at page 1, line 1, for the word 'Twenty-second' the word 'Twenty-third' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.

J lie motion was addopted.

Tin Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYA-YA : Madam, I move :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

## THE DEPARTMENTAL INQUIRIES (ENFORCEMENT OF ATTENDANCE OF WITNESSES AND PRODUCTION OF DOCUMENTS) BILL, 1971.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): Madam, I beg to move:

"That the Bill to provide for the enforcement of attendance of witnesses and production of documents in certain departmental inquiries and for matters connected therewith or incidental thereto as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, under the existing Rules, Inquiry Officers are being appointed to conduct departmental inquiries. But, these Officers have no statutory powers to enforce the attendance of witnesses or production of documents in such inquiries. While no difficulty is normally experienced in producing the witnesses who are public servants, private parties called upon as witnesses are often found to be reluctant in appearing before the Inquiry Officers. Quite often the hearings in departmental inquiries have to be adjourned just with a view to persuading the private parties to attend such inquiries in the interest of better justice. On the other hand there have been some cases which fell through, because some private parties who were material witnesses refused to appear before the Inquiry Officers.

The Santhanam Committee on Prevention of Corruption had, *inter alia*, recommended that:

"the powers to summon and compel attendance of Witnesses and production of documents should be conferred on the Inquiring Authorities in departmental proceedings by a suitable legislation".

The Central Vigilance Commission had, in their Second Annual Report for 1965-66, also recommended in the following terms the necessity of conferring such power on the Inquiry Officers:

"An important factor which holds up the progress of oral inquiries dealt